कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 27.08.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–04 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टीयों के गिरफ्तारी के अभियान में शुक्रवार जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विमल उर्फ बिल्ला पुत्र किशन नि0ग्राम महादेवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–294/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01.बाबूराम कश्यप पुत्र सुकई नि0 ग्राम चरसड़ी थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–223/21, 02. अनिल कुमार सिंह पुत्र बाऊर सिंह नि0 ग्राम बासगॉव थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–224/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मकरन निषाद पुत्र सवले निषाद ऐली मांझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–139/21,धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 27.08.2021

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने/वारण्टियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रामबचन बरूवार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त थाना मनकापुर का वारण्टी अभियुक्त भी था।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामबचन बरूवार पुत्र बदलू प्रसाद नि0 ग्राम दलिप पुरवा मौजा भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–254/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता–

उ0नि0 राम प्रकाश मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.08.2021

थाना करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी हुई जे0सी0बी0 मशीन (कीमत 27 लाख) बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तंमचा भी बरामदः—

दिनांक 15.08.2021 को थाना करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत वादी वेद प्रकाश सिंह पुत्र सूर्यबक्श सिंह निवासी बतौरा बख्तावर सिंह थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा की जे0सी0बी0 मशीन चोरी हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 24.08.2021 को थाना करनैलगंज में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज व प्रभारी एस0ओ0जी0 को त्वरित कार्यवाही करते हुए इस घटना के अनावरण हेतु निर्देश दिये थे। दिये गए इन्ही निर्देशो के अनुक्रम में थाना करनैलगंज व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम ने चोरी की गयी जे0सी0बी0 मशीन को मात्र 03 दिनों के अन्दर बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

आज दिनांक 27.08.2021 को थाना करनैलगंज व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 चोरो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गयी जे0सी0बी0 मशीन बरामद कर किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस भी बरामद किया गया है। **कड़ाई से पूछताछ के दौरान अभियुक्त जाकिर ने बताया कि मै जे0सी0बी0 मशीन का ड्राइवर हूँ और रगडगंज व बलरामपुर क्षेत्र में जे0सी0बी0 चलाता रहा हूँ तथा अपने बहनोई गुलजार के यहां आना–जाना लगा रहता था। जहां पर यह जे0सी0बी0 मशीन खड़ी रहती थी। जिसे देखकर मुझे लालच आ गया था इसीलिए मैने अपने साथियों के साथ मिलकर इसको चोरी कर लिया था। आज इसकी नम्बर प्लेट बदलकर बेचने हेतु बाराबंकी ले जा रहा था।**

गिरफ्तार अभियुक्तगणः—

01. जाकिर पुत्र समीम नि0 खजुरी बदोसराय जनपद बाराबंकी।
02. गुलजार पुत्र जाहिर अली नि0 कोंचा कासिमपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु0अ0सं0–307/21, धारा 379,411,419,420,407,467,468 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–311/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 जे0सी0बी0।
02. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्र0नि0 प्रदीप कुमार सिंह मय टीम।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 संतोष कुमार सिंह मय टीम।

प्रेस नोट
दिनांक 27.08.2021

ऑपरेशन गैंगस्टरः–

'ऑपरेशन गैंगेस्टर' निरन्तर जारी, 07 अन्य गिरोहबंध अपराधियों सहित कुल 29 शातिर गिरोहबंद अपराधियों के विरुद्ध अब तक की गयी गैंगस्टर की कार्यवाही–

15 अगस्त 2021 से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन गैंगेस्टर' के तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने शातिर गिरोहबंध अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियो को दिए है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्र के गिरोहबंध शातिर अपराधियों को चिन्हित किया गया है। जिसमें आज थाना नवाबगंज पुलिस ने अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन में लिप्त अवैध धन अर्जित करने वाले 04 लोगो के विरूद्ध तथा को0 देहात पुलिस ने लूट की घटना में शामिल 03 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की है। 15 अगस्त से जारी इस अभियान के अन्तर्गत पूर्व में जनपद में गिरोहबंध लूट, चोरी, नकबजनी व अवैध शराब से सम्बन्धित 22 शातिर गिरोहबंध अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी थी। इस प्रकार इस अभियान के अन्तर्गत अबतक कुल 29 शातिर गिरोहबन्ध अपराधियों के विरूद्ध की गयी है। सभी शातिर गिरोहबंध अपराधियों की गिरफ्तारी व उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। सभी गिरोहबन्द व शातिर अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन गैंगस्टर निरंतर जारी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद के समस्त गिरोहबन्द/शातिर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है।